



राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग

ईमेल- higheredu3@rajasthan.gov.in दूरभाष-0141-5153222ए 5153223ए 5153660 (आई.पी.नं.24870)

क्रमांक प. 6(8)शिक्षा/ग्रुप-3/2022


जयपुर, दिनांक:- 24.06.2022

:- आदेश :-

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा के आदेश क्रमांक एफ 4 (15) आयो/आकाशि /विषय/2022/266 दिनांक 07.06.2022 के द्वारा 55 नवीन राजकीय महाविद्यालयों में विषय स्वीकृत किये गये थे, के क्रम में निम्नांकित राजकीय महाविद्यालयों के नाम के सम्मुख अंकितानुसार पूर्व में स्वीकृत विषय के स्थान पर निम्नानुसार संशोधन एतद्वारा किया जाता है-


क्र.स.	नवीन राजकीय महाविद्यालय का नाम	पूर्व में स्वीकृत विषय	सशोधित विषय
1	राजकीय कन्या महाविद्यालय बड़ा गुड़ा (सोजत) जिला पाली	मनोविज्ञान	गृहविज्ञान
2	राजकीय कन्या महाविद्यालय भीम (राजसमंद)	राजनीति विज्ञान	गृहविज्ञान

इस संबंध में आयुक्तालय नियमानुसार समस्त आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करावें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(बृजमोहच सौरगिया)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग।
3. संयुक्त सचिव, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग।
4. लेखाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग।
5. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. सम्बन्धित कुल सचिव, विश्वविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
8. सम्बन्धित राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव



राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर


Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan

Website: <http://the.rajasthan.gov.in/dept/dce/> e-mail: jdplan.cce@gmail.com Phone : 0141-2706847

क्रमांक: एफ 4(15) आयां/आकाशि/विषय/2022/1625-33 दिनांक 27 जून, 2022

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
4. कुल सचिव, संबंधित विश्वविद्यालय को भेजकर लेख है कि राजकीय महाविद्यालयों में खोले गये उक्त विषयों को बिना विलंब शुल्क सम्बद्धता प्रदान करने का श्रम करें।
5. शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक, एचआरडी, प्रशासन, अकादमिक, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
8. प्राचार्य, संबंधित राजकीय महाविद्यालय।
9. वेबसाईट प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अ करने/संबंधितों को ईमेल करने बाबत।
10. रक्षित पत्रावली।


(डॉ. हिमलेश सोनी
संयुक्त निदेशक (आयोजना))